

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

// विविध आदेश //

जावक क्र. 52 / एक-15-7 / 15 / एस.डब्ल्यू / 2020

बुरहानपुर, दिनांक-14.09.2020

माननीय रजिस्ट्री के परिपत्र क्रमांक. सी/2214 जबलपुर दिनांक 12.09.2020 के अनुसार कोरोना वायरस की राष्ट्रव्यापी महामारी को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधीपति महोदय द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की संख्या को देखते हुए. पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू-5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू-13 दि.17.05.2020, परिपत्र क. बी/1880 दि. 30.05.2020, परिपत्र क. ए/1214 दि. 05.06.20, परिपत्र क. ए/1382 दि.12.06.20, परिपत्र सी/1455 दि. 19.06.20, डी/2377 दि. 27.06.20, सी/1825 दि. 04.07.20, बी/2407 दि.10.07.20, सी/1778 दि. 19.07.20, बी/2655 दि. 24.07.20, बी/2935 दि. 07.08.20, बी/3010 दि.14.08.20, डी/3267 दि. 21.08.20, सी/2086 दि. 29.08.20, सी/2144 जबलपुर दिनांक 05.09.2020 एवं अन्य जारी परिपत्रों एवं स्पष्टीकरण के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही हेतु जारी निर्देशों को म.प्र. राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों के लिये दिनांक-14.09.2020 से दिनांक 18.09.2020 तक के लिये बढ़ाया जाना निर्देशित होने से, परिपत्र में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, मैं वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर जिला न्यायालय बुरहानपुर के लिये जारी समस्त आदेश/परिपत्र को अधिष्टित करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ :-

1. सीमित कार्य हेतु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक क्यू-12 दि.04.05.2020 एवं डी/2377 दि. 27.06.20 की निरन्तरता में दिनांक 14.09.2020 से 18.09.2020 तक इस जिला स्थापना में अति-आवश्यक प्रकरण ही सुनवायी में लिये जा सकेंगे।
2. शेष दिशा-निर्देश पूर्व आदेशानुसार यथावत् रहेंगे।


सही/-

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 14.09.2020

पृष्ठा. क्र. / एक-15-7 / 15 / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कुटुम्ब न्यायालय/जिला न्यायालय बुरहानपुर।
3. समस्त प्रमारी अधिकारीगण, समस्त अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर कम्प्युनिकेशन के ऑनलाईन के माध्यम से सूचनार्थ हेतु।
4. पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर की ओर जिले के समस्त थाना प्रमारी को निर्देशित करने हेतु।
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बुरहानपुर की ओर समस्त अधिवक्तागण को सूचित करने हेतु।
6. लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर कम्प्युनिकेशन के ऑनलाईन के माध्यम से सूचनार्थ के साथ-साथ न्यायालय सूचना पटल पर भी सूचनार्थ बाब चस्पा किये जाने हेतु।



14/9/20
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर